संख्या- . /2017/ /पांच-6-16-93(जी.)/15

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 25 अगस्त, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला चिकित्सालय, रायबरेली में अग्निशमन व्यवस्था के कार्य हेतु रू0-106.45 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-29फ/10(51)15/119, दिनांक 20.07.17 तथा शासनादेश संख्या-193 /2016/1111 /पांच-6-16-93(जी.)/15 दिनांक 13.07.16 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-193 /2016/1111 /पांच-6-16-93(जी.)/15 दिनांक 13.07.16 द्वारा जिला चिकित्सालय, रायबरेली में अग्निशमन व्यवस्था के कार्य हेतु रू0-212.90 लाख (रूपया दो करोड़ बारह लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0-106.45 लाख (रूपया एक करोड़ छः लाख पैंतालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- अतएव आपके द्वारा प्रेषित प्रस्तावानुसार जिला चिकित्सालय, रायबरेली में अग्निशमन व्यवस्था किये जाने हेतु अवशेष द्वितीय किश्त की कुल धनराशि रू0-106.45 लाख (रूप्या एक करोड़ छः लाख पैंतालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 तथा शासनादेश संख्या-193 /2016/1111 /पांच-6-16-93(जी.)/15 दिनांक 13.07.16 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी ।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

(5) प्रस्तावित प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका व्यय/उपयोग नियमानुसार उसी कार्य /मद हेतु किया जायेगा। इसके इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियामितता माना जायेगा।

(6) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता संतुष्ट होने पर एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत कार्य को निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण कर विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें भविष्य में कोई लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-42 जिला पुरूष/महिला चिकित्सालयों में सुधार, विस्तार एवं नवीनीकरण-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या-113 /2017/1603 (1)/पॉच-6-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, रायबरेली ।
4- अपर निदेशक, (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- निदेशक (चिकित्सा उपचार/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
7- अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्टस कार्पोरेशन लि0, लखनऊ ।
10- निदेशक/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 प्रोजेक्टस कार्पोरेशन लि0-17, रायबरेली ।
11- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रायबरेली ।
12- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
13- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
14- विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव